पत्रांक- AL/79/2026-SEC_2-UDHD DEPT

*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।
***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक-

विषय :- **विभागीय संकल्प सं०-2523, दिनांक-19.05.2015 के आलोक में राज्य के पटना नगर निगम के महापौर/उपमहापौर तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता के भुगतान हेतु वर्ष 2026-27 के प्रथम चार माह के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि ₹8.38 लाख (आठ लाख अड़तीस हजार रू.) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

विभागीय संकल्प सं०-2523, दिनांक-19.05.2015 के आलोक में राज्य के नगर निगमों के महापौर/उपमहापौर तथा सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह नियत भत्ता में वृद्धि की गयी है। उक्त पुनरीक्षित निर्धारित दर के अनुसार नगर निगम, पटना को महापौर/उपमहापौर तथा सभी वार्ड पार्षदों के वर्ष 2026-27 के प्रथम चार माह के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹8.38 लाख (आठ लाख अड़तीस हजार रू.) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकायों का नाम	पी०एल० खाता	HOA संख्या	वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चार माह के लिए मानदेय की स्वीकृत राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	पटना नगर निगम	**PTCPLA021**	**00-8448-00-102-0001-00-01**	**8.38000**
			योग	**8.38000**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹8.38 लाख (आठ लाख अड़तीस हजार रू.) मात्र।

2. कुल स्वीकृत राशि ₹8.38 लाख (आठ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

3. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42 A फार्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹8.38 लाख (आठ लाख अड़तीस हजार रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 के मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0106-नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड-48-2217011910106, विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उपबंधित राशि से की जाएगी।

7. Online राशि की प्राप्ति के उपरांत नगर निगम, पटना के नगर आयुक्त द्वारा अपने नगर निगम के निर्वाचित महापौर/उपमहापौर एवं सभी वार्ड पार्षदों को विभागीय संकल्प सं०-2523, दिनांक- 19.05.2015 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक माह अनुमान्य राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 1496, दिनांक- 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति **E**-संचिका संख्या-AL/79/2026-SEC_2-UDHD DEPT के **Note-** 03 पर दिनांक- 27.05.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन **Note-** 07 पर दिनांक- 29.05.2026 को प्राप्त है।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- AL/79/2026-SEC_2-UDHD DEPT 45 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक-04/06/26

प्रतिलिपिः-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त संबंधित नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।